जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि

1145. **श्री रणजीत सिंह :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान जीवन रक्षक दवाओं सहित लगभग सभी दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में 1991-92 के वित्तीय वर्ष के दौरान दवाओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मूल्य वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करते समय सरकार ने एक राष्ट्रीय औषधि मूल्य नीति घोषित किये जाने की घोषणा की थी, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं और औषधि मूल्य नीति को कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) :(क) और (ख) : अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें एक सूत्र के अनुसार तथा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर और बी आई सी पी, जो औद्योगिक लागत और कीमतों पर सरकार का एक विशेषज्ञ निकाय है, की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात डी पी सी ओ, 1978 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। कीमत नियंत्रण से बाहर सूत्रयोगों के मामले में जब भी कोई अनुचित कीमत वृद्धि नोटिस में आती है तो सरकार इसे उचित स्तर पर लाने के लिए हस्तक्षेप करती है। यह व्यवस्था, कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करती है कि जिस कीमत वृद्धि की अनुमति दी गई है वह संबंधित वस्तु की लागतों में वास्तविक वृद्धि से संबंधित है। पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 3,000 सूत्रयोगों की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित/संशोधित की गई हैं, अधिकांश मामलों में कीमतों में वृद्धि 15 से 25 प्रतिशत के बीच हुई है।

(ग) और (घ) औषध नीति 1986 की पुनरीक्षा अंतिम चरणों में है।

एच० एफ० सी० और एफ० सी० आई० का अच्छी हालत में न आ पाना

1146. **श्री रणजीत सिंह :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि : (क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल-1992 के "डि इकोनामिक टाइम्स" में "गवर्नमैंट रूल्स आउट रिकवरी ऑफ एच० एफ० सी० एण्ड एफ० सी० आई०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इन दोनों संस्थाओं के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के सन्दर्भ में इन संस्थाओं का भविष्य क्या है और मार्च, 1992 को इन संस्थाओं में प्रथकत: कितने-कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे; और

(घ) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के भविष्य के बारे में भी कोई विचार किया है; और यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को पुन: रोजगार की पेशकश दिये जाने की संभावना है और कितने कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार एच एफ सी और एफ सी आई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 8642

9930 है। इन संस्थानों और उनके कर्मचारियों के भविष्य के संबंध में निर्णय मामले पर बी. आई. एफ. आर. द्वारा विचार करने, रसायन उद्योग त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति के विमर्श और इन एककों की तकनीकी व्यवहार्यता एवं आर्थिक लाभप्रदत्ता पर तथा बजटीय स्रोतों के माध्यम से निधियों की उपलब्धि पर भी निर्भर करेगा ।

Calling of details in Form-2A

1147. SHRI BEKAL UTSAHI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that details in Form-2A have been called for from a limited number of companies ;

(b) if so, what are the names of those companies ;

(c) on what basis were these companies identified and other companies which have not furnished these details were left out ;

(d) what are the reasons for this naked discrimination and on what basis identified companies have been singled out for penal action ;

(e) what are the full facts in this regard and by when discrimination would be removed ; and

(f) what are the details of Form-2A received during 1991-92 and what are the details of products, prices of which have been found justified ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : (a), (b), (c) and (f) No, Sir. The number of companies in the organised sector is about 250 and in the small scale sector about 8000. The number of formulations in large variety of pack sizes, based on non-scheduled bulk drugs, is therefore enormous. The overall compliance by the companies in regard to furnishing of information under this form as per provisions of DPCO, 1987, has not been very satisfactory. However, efforts are on to improve the compliance and reminders have been/ are being sent to a large number of companies, especially those with reported large turn-over.

(d) There is no discrimination.

(e) Does not arise.

Termination of Services of Permanent Employees of IDPL

1148. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2283 given in the Rajya Sabha on 12th March, 1992 and state :

(a) what is the number of permanent employees whose services were terminated out of the 8 cases, which were processed under rule 30-A and what happened to the rest of them ;

(b) what are the reasons for which the company (IDPL) had to use rule 30-A in some cases and rule 25 in other cases out of 36 cases of unauthorised absence ;

(c) whether Article 14 of the Constitution was kept in mind by the management in the cases so decided ; and

(d) what are the reasons for not providing provision for appeal against adverse order passed under the amended rule 30-A ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : (a), (b) to (d) IDPL has reported that the services of 2 employees of Marketing Division of the company were terminated under Rule 30-A. Out of the remaining 6 employees, three reported for duty and hence no action was taken against them. One of such employees is on Medical Leave and as per the orders of the Calcutta High Court, he was sanctioned leave. The services of another employee was terminated after inquiry in terms of Rule 25 of the Conduct, Discipline & Appeal Rules, 1978. Disciplinary action against one in term of Rule 30-A is pending. This case is *sub-judice*.

Rule 25 of the Conduct, Discipline & Appeal Rules of IDPL lays down the procedure to be followed before imposing a